के नानन-कानन को उजाड़ना चाहते हैं जहां मानवता सर्वोपरि है ।

"पर दुखे उपकार करे बहुमन अभिमान
न माने रे ।

वैष्णव जन तो तेने कहिये पीर पराई
जाने रे ।।"

इस भावना को हम विश्वव्यापी, जो टूटे हुये लोग हैं, दबे हुये लोग हैं उनके उत्थान में लगे और सर्व धर्म समभाव जो हमारे देश का है जहां पूर्ण स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप आचरण करने की उस आस्था को विश्वव्यापी प्रतिष्ठा दिलाने का यत्न करेंगे इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT ANDOTHER BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 18th August, 1988, allotted time for Government Legislative and other Business as follows :—

	Business	Time Allotted
1.	Consideration and passing of the Punjab Pre-emption (Chandigarh and Delhi Repeal) Bill, 1988.	1 hour 4
2.	Discussion on the 35th and 36th Report of the Union Public Service Commission.	hours

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF TH3 ROLIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) ORDINANCE, 1988 (NO. 3 OF 1988)—Contd.

IL RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF MISUSE) BILL, 1988—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN : (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA) : Sardar Jagjit Singh Aurora.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab) : Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset—

श्री राम अवधेश सिंह : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी कुर्सी से, अध्यक्ष की कुर्सी से, जो भी सूचनायें जारी की जाती हैं, क्या वे सब अंग्रेजी में ही तैयार होती हैं या नहीं ? सदन की भाषा हिन्दी है, इसलिये हिन्दी में भी सूचनायें दी जानी चाहिये । अभी तक यह देखा गया है कि अध्यक्ष की कुर्सी से जो भी सूचनायें दी जाती है वे हमेशा हिन्दी में ही दी जाती है । ऐसा क्यों होता है ?

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैं श्री राम अवधेश सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इन सूचनाओं को केवल अंग्रेजी में ही नहीं, हिन्दी में भी होना चाहिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : इसका ख्याल रखा जायेगा ।

श्री मोर्जा ईर्शादबेग : श्रीमन्, कम से कम आपकी आस्था में तो यह होना चाहिये ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, इस संबंध में आपका क्या निर्णय है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैंने कहा है कि श्री राम अवधेश सिंह जी की बात का ख्याल रखा जायेगा ।

श्री राम अवधेश सिंह : यानी आगे से हिन्दी में भी सूचना दी जायेगी ।

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA : Sir, may I carry on ? Sir, at the outset, without going into the merits and demerits, I wish to state that I am totally against this bill as it is bad conceptually and it is a wrong time to introduce it. Sir, it will serve no useful purpose. It will do more harm than good and the minorities will feel more alienated. And with some justice it will be considered an interference in the religious practices. Sir, this bill is an addition to the many black laws that the Government has already made for Punjab. This will be as ineffective as others because you make them for people who are outside the law. The people who suffer in consequence, are the people who need your help, understanding and sympathy. This is going to hurt them most.

As already declared by the Home Minister, this Bill will be followed by another bill which will deal more comprehensively on how to keep religion and politics apart after further discussion and thought. If so, where is the need to ram through this bill, half-baked as it is?

Secondly, Sir, the present situation has been with us for a long time in Punjab, certainly since 1982, if not before. There was a time when the Congress Party encouraged stock-pilling of arms in the Gurdwara Mehta Chowk. If it is all right to stock-pile arms in one Gurdwara, people felt, why not in other gurdwaras.

The Government did precious little in 1983 to stop the stock-pilling of arms in the Golden Temple. Instead of this, the Government let it build up till 1984. It resulted in an Army assault on the holiest of the holy places. Since then Punjab has naver been the same. In April, 1986, the Akali Government in Punjab was able to get back the control of the Golden Temple with hardly any casualties. While it was in power, it was able to keep control of it. It was the Central Government interference in the election of the President of the SGPC that destabilised the situation again. After the imposition of the President's Rule, that situation started deteriorating. The matters were permitted to deteriorate during the President's Rule in 1987 and early part of 1988 when Operation Black Thunder had to be launched again.

The next point I have is: Why could not this bill be brought up when the Parliament was in session? As usual, to create a *fait accompli,* an Ordinance is issued and it is left to the Parliament to rubber stamp the Ordinance as a bill which becomes another Act. No realistic discussion can take place when the matters are already settled. I find that the Government is always trying manipulative tactics.

If I am not mistaken sufficient legal authority already exist with the Government to ensure that illegal arms are not carried or stockpiled in religious places. The problem lies not taking timely action. Laws against sedition are applicable everywhere. Religious places give no particular sanctity, I do believe,

however, that there can be no two opinions that the religious places must not be used to give haven to anti-social and antinational elements and criminals. For this the laws at present are sufficiently strong to deal with them. The clause to which I have the greatest objection is the use of religious institutions for the promotion or propagation of any political activity. This can have very wide remifications. Logically all religious any political parties should be disbanded before a bill of this nature can be introduced.

seeking disapproval

Furthermore, very strict conditions must be laid down for the socalled secular parties not to exploit religious sentiments inside or outside the religious institutions. Above all, the Government in power must not use its authority to interfere with the functioning of religious institutions by covert or devious means. In this regard, the record of the Congress Government over the years is anything but honourable. In 1925, success against the British in the Gurudawara movement was a victory for the Indian Independence It was lauded by the Father of the Nation himself, who, of course, never believed that religion and politics can ne separated. Today unwanted restriction and interference in the functioning of the Gurudawaras is being justified as a secular step or is being justified as an anti-terrorist step. I am sorry to say that this is not going to help matters. Many a time the Congress Party in the Punjab has tried to put up their own candidates for the SGPC elections with little success. Having failed to make inroads, now a facade of this bill is being created. Whenever the Government fails to achieve successful results, recourse to a new bill is taken to hide its failures and incompetence. Recently, very strong arm methods have been used by a group of socalled Youth Congress (I) members o take over the Sisganj Gurudawara and an effort to take over the Bang-asahib Gurudwara. It is nothing less than hooliganism. The socalled Panthic party under a new individual has suddenly been resurrected which was under suspended animation after the last leader got the General Sales Agency of the Air India in the United Kingdom. Can these shenanigans create confidence in the minds of a minority which has been under pressure for the last several years, which has received no justice, but much adverse propaganda at the hands of the State-controlled and State-influenced media?

For a moment, let us take a look at the other minorities, the Muslims. Do you expect the not to discuss the Babari mosque and the Ram Janam Bhoomi tangle after their Friday prayers? Who is responsible for permitting this situation to reach the present explosive stage? It rests squarely on the Government's shoulders for not acting honestly and in time.

In India, all religious institutions also act as community centres, more so for the Sikhs because according to us it is Sangat and Pangat, which means that people stay back to have *langar* after all important functions. In any case, for the Sikh religion, it is a *Miri* and *Piti* tradition and restrictions on it will be considered interference in the religion. My worthy friend earlier said that *Miri* and *Pir i* by the Sixth Guru meant that these were to be kept seprate because *Miri* discussions were held in the Akal Takht and not in the Golden Temple but the other temple. Akal Takht is also a Gurudwara. The other point is, that the main aim of the combination of politics with religion the Sikh religion, is that politics works, under religious precepts and standards and that means cleaner politics. That is what we have not been able to achieve in lndia so far. I can assure you that this bill, as it stands, will create greater resentment and greater alienation.

I wonder if enough thought has been given to the implemetation

[Sardar Jagjit Singh Aurora)

of this Bill. If its implemenation is unimaginatico, as is likelyto be, it caa cause untold harasstmin to poor innocent people involved in the management of the. Gurudwaras. If militants descend en it without warning and capture the stage, the, management dare not object because the Government has not been able to deal with the terrorists adequately. Afterwards, the police will land up to make an enquiry and may or may not prosecute the manager or any other member, depending upon the police whims and fancies, and what their fancies are, we already know. 1 maintain that by bringing forward this bill, the Government has virtually created a police State which, for a democratic form of Government, is highly objectionable. I wonder if the Government has even now realised that in spite of these draconian laws and massive efforts over a prolonged period, why it has failed to achieve any,worthwhile results. Two things stand out. One is the unimagir native policy of treating the Sikhs and the Punjab problem a purely law and order issue. The Government who claims to stand like a rock, certainly does not use its grey matter when dealing with human or humane problems. A Government which calls rigidity and inflexibility as determination is bound to cause horror and harm rather than find ways and means of meeting people's aspirations and winning their confidence. *{Time bell rings).* I will take another five minutes because these are important points and after all, I am the only person who can put this point of view across. Secondly, discrimination in the application of the same law under similar circumstances on different people is another factor which has created a doubt in people's mind whether they are being treated fairly. If Bal Thackray creates communal hatred, Government does not touch him and justify *it* by saying that the Government does not want to make him a hero. Under this bill, if a manager fails to stop a militant form making some objectionable remark, 1 am sure he will be taken to Task and put in jail.

Thousands of people were killed in the November 1984 carnage but none has been punished so far. The Government has used every stratagem to see that the culprits are not brought to book and tried, But when those people who believe in justice and human rights got together and produced a courageous and honest report, they were dubbed as kangaroo courts. Even .amongst the Sikhs, some are favoured and others are given harsher punishment for the same action, the Punjab Government had very generously decided to release some Akali leaders on the Independence Day while others are still incarcerated though they were taken into custody for the same infringement of the law.

You never trirc of making new laws. But the rule of law has-become a casualty. Political expediency reigns supreme. Human rights and Fundamental Rights are being trampled under foot with impunity, lt is said that cliches are to poltics what 1 aks are to journalism; the life force. No wonder, the politics of manipulation is the life-blood of this Government, this may pay dividend temporarily but it cannot solve the basic ills of our nation. You are going to upset and grievously hurt the common man who has so far not supported ihe separatist movement nor lost faith in communal harmony. And this Bill is supposed to safeguard these things! I would earnestly urge the Government to withdraw this Bill and not to vitiate the political and communal atmosphere. Thank you.

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, धार्मिक जगहों के गलत

इस्तेमाल पर पाबन्दी के संबंध में यह जो बिल लाया गया है मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं । कुछ लोग अपना राजनीतिक उल्लू साधा करने के लिये जो इन धार्मिक संस्थाओं को काम में ले रहे थे कुछ लोग अवैधानिक हथियारों के संग्रह के लिये इन धार्मिक संस्थाओं को संग्रह स्थल बनाने का काम ले रहे थे, कुछ लोग जो अपनी हवस मिटाने के लिये इन धार्मिक संस्थाओं को अपनी शिकारगाह बना रहे थे तथा कुछ आतंकवादी, तस्कर, बेईमान, लुच्चे लफंगे लोग इनमें अपना शेल्टर बनाये हुये थे, इनको शरण लेने की जगह बनाये हुये थे, इस बिल से इन सब लोगों को अपनी इन गलत कार्यवाहियां करने पर अपने इस प्रकार के कार्य करने पर पाबन्दी लगेगी । इसके साथ ही साथ इस बिल में इस बात को रखा गया है किसी भी ऐसी धार्मिक संस्था में कोई भी ऐसी बात न की जाये जिससे किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचे, आपस में मनमुटाव हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता हो । यदि ऐसा होता है तो उस पर पाबन्दी रखने की बात इसमें की गयी है । इससे देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को मजबूती मिलेगी । इसके साथ साथ इस बिल में एक बहुत अच्छी बात उत्तरदायित्व निर्धारण के बारे में कही गयी है । आज तक इन सबके लिये किसी भी आदमी पर उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता था कि किसी भी धार्मिक संस्था में कोई भी बात हो रही है तो उसके लिये जबाबदेही किसकी है । इस बिल के माध्यम से जो प्रबंध समिति का मैनेजर है या कर्मचारी है जो इसके लिये उत्तरदायी है उस पर इस उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है कि वह इस बात की सूचना सरकार को दे, पुलिस को दे कि उस जगह पर इस इस प्रकार से गलत कार्य हो रहे हैं । यदि वह इसकी सूचना नहीं देता है तो धारा 176 का दोषी होकर उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा पांच साल की सजा हो सकती है । इस बात से मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि गलत कार्यवाहियों को रोकने में पूरी मदद मिलेगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना सेकेण्डरी हो गयी है, द्वितीय हो गयी है और धार्मिक भावना प्रथम हो गयी है जबकि राष्ट्रवाद की भावना प्रथम होनी चाहिये तथा धार्मिक भावना द्वितीय होनी चाहिये । यह राष्ट्रवाद क्या है ? मैं बताना चाहूंगा कि यह राष्ट्रवाद एक ऐसी अमूर्त कड़ी है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, इसका मतलब सिर्फ भावना से है, इसका संबंध सिर्फ अहसास से है और हमारे जैसे मुल्क में जहां 80 करोड़ की आबादी है । जहां विविधता है खान-पान की, विविधता है रहन-सहन की, विविधता है, भाषा की, विविधता है धर्मों की वहां राष्ट्रवाद की भावना का आना बहुत जरूरी है । लेकिन जो विविधता हमारे देश की खूबसूरती है इसको कुछ लोग विछिन्नता में बदल देना चाहते हैं और वह अच्छी तरह से जानते हैं कि इस खूबसूरत विविधता को अगर हम विछिन्नता में बदलना चाहें तो मात्र धर्म ही एक ऐसा हथियार है और धर्म के माध्यम से ही हम लोगों को भड़का कर, धार्मिक संस्थाओं का सहारा लेकर ही हम अपने मंसूबों में कामयाब हो सकते हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि धार्मिक संस्थाओं का इस प्रकार के गलत कार्यों के लिये दुरुपयोग होने पर अगर पाबन्दी लगायें और जो कि इस बिल के माध्यम से लगाई जा रही है तो यकीनी तौर से जो लोग इस खूबसूरत विविधता को विछिन्नता में परिवर्तित कर देना चाहते हैं उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे, उनके मंसूबों पर पाबन्दी लगेगी । माननीय उप सभाध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले जयपुर में एक सर्वधर्म प्रार्थना बुलाई थी, जब इस प्रकार की सांप्रदायिक बातें हो रही थीं धार्मिक संस्थाओं के बारे में बात हो रही थी तो हमने वहां बड़े से बड़े मस्जिद के पेशइमाम को बुलाया, बड़े से बड़े गीता के पंडित को बुलाया, बड़े से बड़े गुरुद्वारे के गुरू ग्रंथ साहिब के जो ज्ञाता थे उनको बुलाया और बड़े से बड़े जो बाइबल को जानने वाले थे उनको बुलाया । हमने उनसे पूछा कि क्या यह धर्म ग्रंथ यह बात कहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं का इस प्रकार से प्रयोग किया जाय या आपस में इस तरह से लड़ाया जाए ? उन्होंने साफ कहा कि सृष्टि में कितने भी आदमी और औरत हैं चाहे उन्हें शिव और पार्वती की

[डा० अबरार अहमद खान]

संतान कहें या आदम और हव्वा की औलाद कहें, सब का धर्म इंसानियत है और उन्होंने कहा कि जो कुरान में संदेश है वह सिर्फ मुसलमानों के लिये नहीं है, जो गीता में उपदेश है वह सिर्फ हिन्दुओं के लिये नहीं है, जो बाइबल में बात कही है वह सिर्फ क्रिश्चियन्ज के लिये नहीं है और जो गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है वह सिर्फ सिखों के लिये नहीं है, वह तो एक इंसानियत का पैगाम है, जो हरेक इंसान के लिये संदेश है अपने उसको रहने-सहने का तरीका सिखाता है, एक दूसरे से मोहब्बत करने का तरीका सिखाता है, एक-दूसरे के दुख-दर्द में काम आने की बात कहता है, एक-दूसरे की तकलीफ में हाथ बटाने की बात कहता है । माननीय उप सभाध्यक्ष जी, जब हमारे धर्म यह कहते हैं और धार्मिक संस्थाएं यह कहती हैं तो जो लोग इन धार्मिक संस्थाओं का धार्मिक ग्रंथों का और धर्म का दुरूपयोग करके देश के टुकड़े करना चाहते हैं तो उन लोगों पर यह पाबंदी लगनी बहुत जरूरी थी और इस बिल का आना समय के अनुरूप है, समय के अनुसार है और आना बहुत जरूरी था । लेकिन मैं इस पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस बिल के अमल में पूरा ध्यान रखा जाए पूरी सतर्कता बरती जाए । इस बिल के माध्यम से कुछ ब्यूरोक्रेट्स या कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा कर किसी आम आदमी को परेशान न करें और किसी धर्म पर हाथ डालने की कोशिश न करें, किसी धर्म को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश न करें, इसलिए इसके अमल पर पूरा ध्यान रखा जाए । बिल बहुत अच्छा है, समय के अनुरूप है और यह आना चाहिए था । आज ये धार्मिक संस्थाएं मात्र हथियारों के एकत्रीकरण या बदमाशों का जमघट ही नहीं बन गई थीं बल्कि ये विदेशियों के षडयंत्र का जो देश हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं उनके षडयंत्र का एक स्थान बन गई थीं जहां से वह अपना षडयंत्र चलाना चाहते थे और अपना षडयंत्र चलाते थे तथा देश को नुकसान पहुंचाते थे । इसलिए मैं इस बिल का पुनः समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । ऐसा विधयक काफी पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । पंजाब की हालात ने ऐसी राष्ट्रीय स्थिति पैदा की है जब संविधान के तहत धार्मिक संस्थाओं पर ऐसी ही पाबंदियां लगाना अनिवार्य हो गया है । हमारा देश धर्म निरपेक्ष है । संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में इन बातों का उल्लेख किया है कि हमारी दृष्टि धर्म के प्रति क्या है, लेकिन धर्म निर-पेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था । श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 के संविधान संशोधन द्वारा संवि-धान की प्रस्तावना में इस शब्द का समावेश किया और हमारी दृष्टि आज स्पष्ट हो गई है कि हमारी रूपरेखा क्या है तथा आगे हम क्या करने वाले हैं । संविधान के अनुच्छेद 25 में व्यक्तियों को किसी धर्म को स्वीकार करने की पूरी आजादी दी गई है । अनुच्छेद 26 में धार्मिक संगठनों को बनाने की छूट दी गई है । धार्मिक संपत्तियों को अर्जित करने की, उन पर प्रशासन करने की छूट दी गई है । अनुच्छेद 27 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति से जबरन धार्मिक कार्यों के लिए धन संग्रह नहीं किया जा सकता और धार्मिक कार्यों पर ऐसे धन-संग्रह को व्यय नहीं किया जा सकता । अनुच्छेद 28 विशष-रूप से उल्लेखनीय है, इसमें कहा गया है कि सरकार की या सरकार के स्वामित्व में जो शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, उनमें धार्मिक शिक्षण हो नहीं सकता; इसी के खंड 2 में कहा गया है कि अगर धार्मिक न्यास के द्वारा ऐसी शिक्षण संस्थाएं बनाई गई हैं तो उसमें यह छूट दी जाएगी और इसी के खण्ड 3 में कहा गया है कि सरकार से मान्यता प्राप्त ऐसी शिक्षण संस्थाएं अगर हैं, जहां धर्म का शिक्षण होता है तो वहां किसी विद्यार्थी, किसी छात्रा को जबरन धार्मिक शिक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । लेकिन अनुच्छेद 17, 19

और अनुच्छेद 25 के खण्ड 1 में और अनुच्छेद 26 के खंड "ग" और "घ" में पाबंदियां लगाने की छूट दी गई है सरकार को, लेकिन लोकहित में यदि आवश्यक हो। लोकहित में या राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो विधि द्वारा ऐसी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसलिए कानून बनाया जाना चाहिए था बहुत पहले क्योंकि संविधान में अधिकृत किया गया था भारत सरकार को, राज्य सरकार को। पंजाब की हालात बिगड़ती गई और भारत सरकार की उदारता रही क्योंकि भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी प्रारंभ में, लेकिन स्थितियां वहां ज्यादा बिगड़ती गई और वहां की राजनीति में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा तो जरूरी हो गया। वहां के गुरुद्वारों को हिंसा और हथियार का केन्द्र बनाया जाने लगा और गुरुद्वारों में ऐसे प्रस्ताव पास कराए जाने लगे, जो पूर्णतया राजनीतिक थे और निश्चित रूप से इस देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने की सुनियोजित योजना थी, कार्य-क्रम था, यह अहसास हो रहा था। अब आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव की अगर व्याख्या की जाय, तो यह बातें स्पष्ट होती हैं कि उनकी दृष्टि क्या थी? जिस तरह से स्वर्ण मंदिर में जिस प्रकार के अस्त्र एकत्र किए गए, किस प्रकार से आतंकवादियों को वहां से संरक्षण और सुविधाएं दी जा रही थीं और किस तरह से धार्मिक भावनाओं की आड़ में, धार्मिक संरक्षण की आड़ में राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात की गई, तो इन बातों से भारत सरकार ने महसूस किया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अधिनियम के अनुछेच्द 3 में प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत स्पष्ट दिखता है और फिर धार्मिक सम्पत्तियों का, धार्मिक धन का दुरूपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए हुआ है, यह भी स्थापित हुआ है। इसलिए यह विधेयक बहुत सही है। अनुच्छेद 7 और 8 में दंडनीय अपराध बनाया गया है तथा यह जुर्माने की और जेल की सजा रखी गई है। लेकिन एक बात जरूरी है, इस विधेयक से लगता नहीं है कि सरकार इन मंदिरों के, मस्जिदों के या धार्मिक संस्थानों के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकेगी। दो बातें हैं, जो प्रबन्धक इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध मामले दर्ज कराए जाएंगे और मामलें की प्रारंभिक कार्यवाही होगी, प्रथम दृष्टया अगर मामला बनता है तो कोर्ट से हिदायतें जारी होंगी और उन्हें कार्य करने से रोका जा सकेगा, लेकिन प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जब तक सरकार में होगी नहीं, यह कार्य कैसे चल सकता है? प्रबन्धकों की नियुक्तियां होती हैं या प्रबंध समितियां बनती हैं, उनके गठन में या उनके नियंत्रण की शक्ति सरकार की नहीं होगी तो उन धाराओं में जिन धाराओं में व्यक्त किया गया है जो स्पिरिट उसके पीछे है, जो इसके दंड के प्रावधान किए गए हैं, वह व्यावहारिक रूप से उपयोग में लाए कैसे जाएंगे? केवल कोर्ट के निर्देश से ये मामले चल नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक मामले की सुनवायी होगी जब तक उन्हें दंड दिया जाएगा, जब तक आरोप साबित होंगे तब तक प्रबंधक पर सरकार का क्या दबाव रहेगा, यह विधेयक से स्पष्ट नहीं होता। यह पूर्णतः सुझावात्मक लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनने के बाद कोर्ट की ओर से आदेश जारी होंगे। लेकिन अगर वहां की समिति या वहां के प्रबंधक अगर उस आदेश पर अमल नहीं करता है तो उस अवस्था में क्या कार्यवाही की जाएगी। इस बिल में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी हमारी आशंका है कि इस विधेयक से जो अपेक्षा की जा रही है, संभवतः उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही मामले के निष्पादन में जितना अधिक समय लगता है उस बीच में उस धार्मिक स्थल से समाज का काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें एक समरी ट्रायल का, विशेष अदालत का प्रावधान किया जाना चाहिए कि दो महीने में, एक महीने में या पन्द्रह दिन में ऐसे मामलों का निष्पादन किया जाए

[डा० जगन्नाथ मिश्र]

और दण्ड की घोषणा होनी चाहिए। तभी उस प्रबंधक या उस समिति पर कोई दबाव पड़ सकता है, कोई प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस विधेयक का आंशिक प्रभाव ही पड़ने वाला है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल अस्त्रों के जमाव पर या स्थल पर रोक लगाने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि आपको ऐसे दलों और ऐसे संगठनों पर भी रोक लगानी होगी जो सियासत में, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम सबको प्रसन्नता हुई जब प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस देश में हम ऐसे कानून बनाएंगे जिनसे कि कोई राजनीतिक दल धर्म का उपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए नहीं कर सकता है। एक खास उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक से हो सकती है, लेकिन इस विधेयक से व्यापक हित की पूर्ति नहीं हो सकती है, जब तक राजनीतिक दल जिनका विश्वास धार्मिक भावनाओं में है, जातीय भावनाओं में है और जो देश की एकता, अखंडता के लिए उन भावनाओं के लिए चुनौती बन रहे हैं, उन पर रोक नहीं लगायी जाती। अभी माननीय सदस्य पाण्डेय जी शिव सेना की बातें बता रहे थे और जो सांप्रदायिक संस्थाएं हैं, उनके बारे में बता रहे थे। क्या ऐसे भी राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके चेहरे नहीं मालूम पड़ते हैं कि सांप्रदायिक हैं, लेकिन उनकी कार्यवाहियों सांप्रदायिक होती हैं और वे सांप्रदायिक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। महोदय, इस देश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं जिनमें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे संगठनों का हाथ रहा है और ऐसे संगठन ऐसी वारदातों से राजनीतिक लाभ उठाते हैं। इसलिए श्रेयस्कर होगा कि एक ऐसा समेकित विधेयक लाया जाय जिसके तहत ऐसी संस्थाए चाहे वे राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं या धार्मिक हैं और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित करती हैं, इस सारी संस्थाओं पर रोक लगा दी जाय, पाबंदी लगा दी जाय और जो भावना संविधान के तहत रखी गयी है, जिस धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत को हम सबने स्वीकार किया है, जो प्रस्तावना में हमने उद्घोषण की है या अनुच्छेद 17 या 19 में नागरिक अधिकार के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता दी है या पाबंदी लगाने के जो अधिकार राज्य को दिए हैं और अनुच्छेद – 25, 26 27 और 28 के तहत अधिकार दिए गए हैं, उन पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए।

महोदय, एक महत्वपूर्ण बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 28 के तहत ऐसी शिक्षण संस्थाए जहां ऐसी धार्मिक शिक्षा दी जाती हैं और जिन्हें सरकार की मान्यता मिलती है, सरकार से निधि प्राप्त होती है, अगर जहां की धार्मिक भावनाएं हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन रही हैं तो ऐसे में अधिकार रहना चाहिए कि उन पर रोक लगायी जाय। जब सरकार को अधिकार मिला हुआ है कि लोक व्यवस्था के नाम पर, सदाचार एवं राष्ट्रीयता के नाम पर पाबंदियां लगायी जा सकती हैं तब ऐसी शैक्षणिक संस्थाए जहां खुले आम धार्मिक भावनाओं का प्रचार होता है और उन्हें शासन से मान्यता मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती है तो फिर उन पर रूकावटें क्यों न लगायी जाए? एक यह मौलिक विषय सोचने के लिए होता है। दूसरा यह कि हमारे विधार्थियों को पाठ्यक्रम में सर्वधर्म समभाव की बातें, धर्म-निरपेक्षता की बातें, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बातें विशेष रूप से बताई नहीं जाती हैं। आज 40–41 साल की आजादी के बाद भी अगर हमें कहना पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता की बातें, सर्वधर्म समभाव की बातें, तो यह अत्यंत ही दुखद पक्ष है और इसका मूल कारण यही है कि हमने अपने पाठ्यक्रम में समावेश ही नहीं किया है इन बुनियादी असूलों का, बुनियादी सिद्धांतों का और इनका अनुपालन होता नहीं है। जो सरकारी सेवाओं में हम लोगों को लेते हैं उनको भी राष्ट्रीय भावनाओं के बारे में, नैतिकता के बारे में समुचित प्रशिक्षण

होता महीं है । जो हमारे सारक्षी संगठन हैं, पैरा-मिलिटरी का हमारा संगठन है, ऐसे संगठनों में भी हमें धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं का प्रसार मिलता नहीं है और कौमी दंगों में र.ज-पुलिस के बारे में अनेक शिकायतें आती हैं कि ये धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हो जाते हैं और किसी एक वर्ग के लोगों को दुख अधिक पहुंचता है । ऐसे लोगों को हमने प्रशिक्षित नहीं कराया जिससे कि उनकी दृष्टि वास्तविक हो सके, उनकी दृष्टि में समानता आ सके और वह समझ सकें कि हमारे देश में बुनियादी हक प्रत्येक नागरिक को है अपने-अपने धर्म का अनुसरण करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए लेकिन जबरन करने के लिए नहीं है । समाज की लोक व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के लिए नहीं है, समाज में असंतुलन पैदा करने के लिए नहीं है । लेकिन ये अगर समाज में असंतुलन पदा करते हैं, बिखराव पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से उन पर रुकावटें लगाई जानी चाहिए । ऐसे तमाम लोक सेवकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो हमारी मौलिक मान्यताओं को, मौलिक सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकें तभी हम देश के तमाम लोगों को विश्वास में ले सकते हैं । खासकर के अल्प-संख्यकों में अविश्वास की भावना रहती है हमारे प्रशासन के प्रति और उन्हें लगता है कि उन्हें वह समुचित संरक्षण नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें अपेक्षा होती है । इसलिए कि हमने अपने प्रशासन को इस योग्य दक्ष नहीं किया है, उन्हें शिक्षित-दीक्षित नहीं किया है और उन्होंने इस भावना को स्वत: अत:करण से स्वीकार नहीं किया है जिस तरह से हमने स्वत: अत:करण से यह अधिकार लोगों को दिए हैं, लेकिन समाज को बिखरने के लिए, तोड़ने के लिए सियासत में इसे प्रवेश कराने के लिए इनको छूट नहीं हो सकती है इसलिए समुचित कानून ऐसा बनाना चाहिए आगे के दिनों में । राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता है । धर्म का प्रवश हुआ पंजाब में । अकाली दल को धर्म में छूट दी गई और सरकार की ओर से गुरुद्वारों के संचालन की व्यवस्था की गई सरकार की ओर से कानून बनाने की व्यवस्था बनाई गई । अन्ततोगत्वा उसका क्या असर हुआ है । इसलिए राष्ट्रीय जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब हम नए सिरे से अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत पाबंदियां लगाने का जो अधिकार दिया गया है उस पर भारत सरकार चिन्तन करके सभी पक्ष के लोगों से बात करें, देश में आम सहमति बनाए और पूरी पाबंदी लगाए राजनीतिक दलों पर कि वह किसी भी रूप में धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । जो राष्ट्र के हित के विरूद्ध हों, राष्ट्र के चिन्तन के विरूद्ध हों और जो आजादी के संघर्ष के दिनों में हमने सिद्धान्त स्वीकार किया था राष्ट्रीय नेताओं की रहनुमाई में उसके विपरित हों । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam) : I stand to support the spirit of the Bill, but it is difficult for me to do so without reservations because I have got some d ubts rcgard ng the actual implementation of the Bill. On the basis of the Bill, I hope there should be no victimisation of any sort to any group. As a matter of fact, I think, we need not bank upon any Billtoseparatereligion from politics. Religion has such a deep root in our social and cultural life and in cur national culture that a mere legislation cannot uproot it easily. Nor can we put veligion and politics into two water-tight compartments overnight.

First of all, we must be goaded by our political will, then, I think, we may except some positive results. The party that is in power must ensure that no action or decision is based on religion. We have seen at the time of elections how principles are sacrificed by political parties and people become crazy for power.

[Shrimati Bijoya Chakravarty]

If the factors in respect of elections aie dominated by caste, creed or religion, we can never separate religion from politics. There must be a mass upsurge for bringing about radical changes in our religious, social and political life. One must evolve new ethos and sound sense of values; otherwise it is simply madness to have change in our religious and social life. We know the long struggle between church and State for dominance in the medi-eval period. At last State was separated from politics. In our'country, religion has become a problem because we have taken it to the streets. We made religion our enemy. We use it whenever we need the help of it. I can cite a number of examples as to how politics colours our religious vision. Because of opportunistic politics, humanitarian values of religion are relegated to the background. I hope, Sir, this Bill would protect religion but will not pollute the santity of religious institutions. The Government must be guarded against the tendency of selfish implementation of the power given by the Bill. I feel that political parties should have been consulted before framing such a Bill.

That is why I got some doubts regarding the structure of this Bill. May I know from the Minister in this changing situation whether this Bill is a guarantee to all? May I know fiom the Minister whether he will assure us that there shall no mingling of religion with politics in the near future ? Of course, the, Bill tries to prevent misuse of reli-" gious places for political purposes. This is gocd. But I cannot say that some Mandirs, Masjids or Gurudwaras have become the vortex of politics. But what about those persons who abuse religion to the extent of making its followers fanatics leading to madness ?

Sir, it is the politicians who pollute religion. Communalism of any form draws its strength from politics and its structure from religion. That is why we have seen in certain places of the country, communal violence. I feel this Bill should have been a comprehensive one. The mover of the Bill should have tried to have a full discussion with each and every political party in this House. It is the practice of the ruling party to select a particular candidate of a particular religion where the majority of voters belong to that religion We have seen it in may places. Before compaigning for elections we pray before a Mandir or Masjid when the religious groups are in majority there. Irt such a state can there be unity? Can we think of integrity, in this country ?

Now, I want to say something about Babri Masjid and Ram Janmabhoomi. You know that I come from the remotest corner of the country Assam, where one day I saw some posters pertaining to Babri Masjid and the very next day I also saw some other posters saying "we want Rem Janmbh-oomi." But those who have read those posters do not know what Babri Masjid is and what Rem Janambhoomi is. It is all because of politicians these things are happen-ng.

Sir, I sense the failure of the Government as the Government very hurriedly, without discussing the pros and cons of the Bill tbo-' roughly, introduced the Bill and the manner in which the Bill has been introduced speaks of the fear of the Government. I think, this Bill will surely, one way or the other, give the strength to the terrorist elements. I do not know what the result of the Bill will be but I hope gocd sense will prevail upon all not to abuse religion in playing the power game of politices. Thank you

.